न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/111/2007

1. मन्नी पुत्री स्व. गुलाराम पत्नी श्री हरफूल जाति जाट निवासी जलालसर, तहसील फतेहपुर जिला सीकर
2. जयकारी पुत्री स्व. गुलाराम पत्नी श्री भागीरथ जाति जाट निवासी जलालसर, तहसील फतेहपुर जिला सीकर
3. विमला पुत्री स्व. गुलाराम पत्नी श्री बलबीर जाति जाट निवासी खजी का बास, तहसील फतेहपुर जिला सीकर
4. बसन्ती पुत्री स्व. गुलाराम पत्नी श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी खाजी का बास, तहसील फतेहपुर जिला सीकर

–वादीगण

बनाम

1. सावित्री पत्नी स्व. शिवराज जाति जाट निवासी झाड़ेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल आबाद ग्राम बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2. पूनम पुत्री स्व. शिवराज
3. ललिता पुत्री स्व. शिवराज
   समस्त अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सावित्री देवी समस्त जाति जाट निवासीगण झाड़ेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल आबाद ग्राम बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
4. नेमीचन्द पुत्र गुल्लाराम
5. बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम
6. भूरी बेवाह गुल्लाराम
7. राजेन्द्र पुत्र नौरंगलाल
8. भंवरी पत्नी नौरंगलाल
   समस्त जाति जाट निवासीगण झाड़ेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
9. उपपंजीयक, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
10. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़–सीकर

–प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवम् रेकॉर्ड दुरूस्ती

–:निर्णयः– **दिनांक–11.06.2018**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि ग्राम झाड़ेवा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राजस्थान) में कृषि भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 2.53 हैक्टेयर अवस्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के कब्जेकाश्त व खातेदारी अधिकार की है, जिसमें वादियागण का 4/9 हिस्सा है।

यह कि वादियागण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादीगण का 4/9 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का 5/9 हिस्सा है। यह कि उक्त वर्णित भूमि वादिगण को उनके पिता गुल्लाराम के मरने के बाद जायन्दा पुत्रियॉ होने से प्राप्त हुई है तथा जो वादीगण के कब्जेकाश्त में चली आ रही है तथा वादीगण की अपने 4/9 हिस्से का काश्त करती आ रही है वादीगण के 4/9 हिस्से में किसी दीगर व्यक्ति का संबंध नहीं है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 का पति, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पिता शिवराज व प्रतिवादी संख्या 4 व 8 बहुत ही होशियार व चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्होंने गुल्लाराम की मृत्यु के बाद वादीगण की हिस्सेदारी 4/9 की खातेदारी की भूमि विरासत में प्राप्त की है, जिन्होंने ग्राम पंचायत व राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ करके वादीगण के पिता गुल्लाराम की मृत्यु पर उनके 4/9 हिस्से की विरासत का नामान्तकरण अपने नाम स्वीकार करवा लिया, जबकि मृतक की वैध वारिसान वादीगण भी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का ही एकमात्र गुल्लाराम की भूमि में हिस्सा नहीं है बल्कि वादीगण का भी गुल्लाराम की भूमि में 4/9 हिस्सा जायन्दा पुत्रियॉ होने के नाते है।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का पिता व प्रतिवादी संख्या 1 का पति व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 6 ही वारिस नहीं है बल्कि गुल्लाराम की जायन्दा पुत्रियॉ भी वारिस है, किन्तु विरासत का नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 05.10.1998 स्वीकार करवा लिये, निम्न कारणों से अवैध व शून्य हैः– (क) कि मृतक खातेदार गुल्लाराम की मृत्यु के समय मृतक की जायन्दा पत्रियॉ भी वैध वारिस मौजूद थीं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1

ता 8 ही वारिस नहीं है, इसलिए नामान्तकरण अवैध व शून्य है। (ख) कि नामान्तरण स्वीकार करने से पूर्व वादीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा नामान्तकरण बिना सुनवाई के स्वीकार हुआ होने के कारण अवैध व शुन्य है। (ग) कि गुल्लाराम के सिर्फ जायन्दा पुत्र ही नहीं है। वादीगण भी जायन्दा पुत्रीयॉ हैं, लेकिन नामान्तकरण में वादीगण को विरासत में शामिल नहीं किया गया। इसलिए नामान्तकरण अवैध शुन्य तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि वादीगण अपने 4/9 पर काबिज काश्त करती है तथा अपने काश्त की भूमियों के बाबत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास दिनांक 16.05.2007 को गई तब पता चला कि वादीगण की भूमियों का खाता प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने आपकों वारिस बताकर करवा लिया, तब पहली बार पता चला तथा नामान्तकरण की नकल दिनांक 30.06.2007 को प्राप्त करने पर उक्त साजशी प्रविष्ठी व नामान्तरकरण का पता चला वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को 4/9 हिस्से का खाता वादीगण के नाम करवाने तथा विधिवृत बंटवारा करवाने बाबत दिनांक 01.07.07 को कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 हिस्से से इन्कार हो गये तथा धमकी दी की उक्त भूमि का विक्रय, अंतरण व प्रभारण करेंगें तथा वादीगण को बेदखल करेंगे तथा प्रतिवादी संख्या 9 के यहॉ प्रलेख पंजीकृत करवायेंगे एवं प्रतिवादी संख्या 10 से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड दीगर व्यक्तियों के नाम करवा देंगें, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। में जबरन कब्जा करने को पिछले दो दिवस से सचेष्ट हो रहा है। प्रतिवादीगण अपने उक्त अवैध कार्यवाही में सफल हो जाते हैं तब उस परिस्थिति में वादीगण के विधिक अधिकारों पर आघात होकर भारी असीमित क्षति होगी इस कारण उक्त प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाया जाना हर दृष्टि से उचित एवं न्यायसंगत होगा।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 अपनी उक्त कुचेष्टा में सफल हो गये तो वादीगण को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं होगी। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 सह काश्तकार हैं जो बंटवारा के बाद में आवश्यक पक्षकार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 10 भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाये गये हैं एवं प्रतिवादी संख्या 9 लोक सेवक है, जिनके यहॉ प्रलेख पंजीकृत करवाने की धमकी दी है, इसलिए पक्षकार बनाया गया है उक्त प्रतिवादी संख्या 9 के खिलाफ वाद प्रस्तुति से पूर्व 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस देना आवश्यक है, किन्तु यह मामला अर्जेन्ट प्रकृति का है तथा 2 माह का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत करने पर वाद का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा इसलिए नोटिस की छूट हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 80 (2) सीपीसी अलग से पेश किया जा रहा है।

यह कि वादकारण दिनांक 16.05.2007 को वादीगण की खातेदारी भूमि की जमाबंदी में नाम नहीं मिलने तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 द्वारा दिनांक 01.07.07 को खाता करवाने से इन्कार करने, बेदखली विक्रय, अंतरण व प्रभारण की धमकियॉ देने के कारण तथा प्रतिवादी द्वारा विधिवत् बंटवारा से इन्कार करने के कारण न्यायालय हाजा में पेश हुआ है।

यह कि वाद सुनवाई का श्रीमान्जी को पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासलि है तथा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। यह कि वाद उचित कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। यह कि वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण निम्न इस्तदुआ करते है कि– (क) कि वादग्रंस्त जमीन ग्राम झाड़ेवा के खसरा नम्बर 114 रकबा 2.5500 हैक्टेयर के 4/9 हिस्से का वादीगण को खातेदार, काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जावे। (ख) कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का विधिवत बंटवारा सीमाज्ञान द्वारा किया जावें। (ग) कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को 4/9 हिस्सा से बेदखल करने विवादग्रस्त सौदा का विक्रय, अंतरण एवं प्रतिवादी संख्या 9 के यहॉ पंजीकृत करवाने से बाज रहे तथा प्रतिवादी संख्या 9 प्रलेख पंजीकृत न करे तथा राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 10 वादीगण के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का नाम परिवर्तित करने से बाज रहे। (घ) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण के पक्ष में हों, सादर फरमायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। शेष प्रतिवादीगण पर विधिवत तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 कि ओर से उनके अभिभाषक आकर दिनांक 17.05.2012 को जवाब दावा मय काउंटर वाद पेश किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में वादीगण कि ओर से उनके अभिभाषक ने दिनांक 13.05.2013 को जवाबबुल जवाब पेश किया। साथ ही उक्त दिनांक 13.05.2013 को ही वादीगण अभिभाषक कि ओर से प्रतिवादी सं. 6 का नाम हजफ करने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसको स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 6 के नाम के पहले स्व. को अंकन लाल स्याही से किया गया। पत्रावली पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबबुल जवाब व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय काउंटर वाद के आधार पर दिनांक 25.06.2014 को तनकी कायम की गई। जिसके बाद वादीगण के साक्ष्य में वकील वादीगण द्वारा मनी देवी(वादीया सं. 1), जयकारी देवी मनी देवी(वादीया सं. 2), विमला

देवी मनी देवी(वादीया सं. 3), बसंन्ती देवी मनी देवी(वादीया सं. 4) के बयान शपथ–पत्र दिनांक 09.03.2015 को पेश किये। उक्त दिनांक से आदिनांक तक वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह साक्ष्य आदि नहीं करवाई गईं। चूंकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों/जनता को राहत प्रदान करने के लिए राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। अतः इसी दौरान पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बीदासर में पेश हुई। जिसमें कैम्प स्थल पर प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 व 8 स्वयं उपस्थित होकर पत्रावली पर अंकित किया कि वादीगण पक्ष के वाद के मुताबिक वादीगण को हिस्सा देने में सहमत है। उक्त को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें कैम्प स्थल पर उपस्थित होने हेतु प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 क्रमशः सावित्री, पूनम, ललिता पर विधिवत तामील हो चुकी है। जिनका पूर्व में जवाब दावा मय काउंटर वाद पेश भी हो चुका है। उक्त पर विधिवत तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने व पत्रावली पर दिनांक 09.03.2015 से आदिनांक तक उनके वकील कि ओर से बार –बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जिरह साक्ष्य नहीं करने पर आज कैम्प स्थल पर उक्त प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। साथ ही प्रकरण वर्ष 2007 से लम्बित है, जो कि प्रतिवादीगण द्वारा महज और महज देरी की जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे को अनावश्यक रूप से चलाकर न्यायालय का समय को जाया करने जैसा प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण दावा के अनुसार प्रतिवादिया सं. 6 भूरी देवी फौत हो चुकी है। अतः उक्तानुसार वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष हिस्सा 4/9 की जगह हिस्सा 4/8 दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली का अवलोकन किया जाकर शेष उपस्थित प्रतिवादीगण सहमति के मध्यनजर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि के अवलोकन के बाद पत्रावली में वर्णित तथ्यों व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:आदेशः–

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम झाड़ेवा के खसरा नम्बर 114 रकबा 2.5500 हैक्टेयर का वर्तमान खाता निरस्त किया जाकर उक्त आराजी के 4/8 हिस्से का वादीगण को खातेदार, काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाकर विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग खसरा नम्बर व अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से 4/8 हिस्सा में से दखलअंदाजी न पैदा करें। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना पक्षकारान वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट बीदासर में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बीदासर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

मन्नी आदि बनाम सावित्री आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवम् रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर–111/2007 **निर्णय दिनांक– 11.06.2018**

वादी..... व प्रतिवादीगण..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.06.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम झाड़ेवा के खसरा नम्बर 114 रकबा 2.5500 हैक्टेयर का वर्तमान खाता निरस्त किया जाकर उक्त आराजी के 4/8 हिस्से का वादीगण को खातेदार, काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाकर विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग खसरा नम्बर व अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से 4/8 हिस्सा में से दखलअंदाजी न पैदा करें। रहन यथावत रहेगा। खर्चा अपना–अपना पक्षकारान वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 11.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बीदासर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया		रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बीदासर